



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-18032026-271042
CG-CG-E-18032026-271042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1329]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 1329]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1394(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारिणी-1

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसिल	जिला
1	2	3	4	5
1.	उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, देवरी	राजनन्दगाँव – नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र	सालेकसा	गोंदिया

[फा. सं. डी.सी.ई/सी/एनजीपी/आर.जे.एन.-एन.जी.पी. तीसरी लाइन/7ए/1]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 9th March, 2026

S.O. 1394(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh and Maharashtra with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table-1

S.N (1)	Competent Authority (2)	Special Railway Project (3)	Tahsil (4)	District (5)
1.	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Deori, Maharashtra.	Rajnandgaon-Nagpur 3 rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra.	Salekasa	Gondia

[F. NO. DCE/C/NGP/RJN-NGP 3rd LINE/7A/1]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con)